न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 94/2019 वाद

1. शम्भुलाल पिता नन्दलाल धाकड़, आयु 33 साल, निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मथरी बाई पत्नी रामचन्द्र धाकड़, आयु 68 साल, निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़।

– वादीगण

//बनाम//

1. गबुर पिता प्यारा धाकड़, आयु 85 वर्ष निवासी जावदा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

श्री इन्दरलाल भाम्बी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, उपस्थित

निर्णय दिनांक 20.11.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके ग्राम जावदा की खाता संख्या 99 के आराजी नं. 1344 व 1354 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 212 की आराजी नं. 1347, 1348, 1353, 1355, 1356, 1358 कुल किता 6 कुल रकबा 6 कुल रकबा 0.8200 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण ने खातेदार नवली बाई ने उसकी भतीजी विद्या बाई को विवादित भूमि रजिस्टर्ड वसीयत कर दी तथा विद्या देवी ने दिनांक 20.04.2016 व 26.04.2017 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित कृषि भूमि को विधिवत विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कर विक्रय पत्र में वर्णित अनुसार अपना हिस्सा क्रय कर भूमि खरीद ली तथा वक्त खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय से बिना वादीगण को पक्षकार बनाये नवली बाई की भतीजी विद्या व उसके पति गोपाल से मिली भगत कर छल पूर्वक न्यायालय को गुमराह कर डिक्री प्राप्त कर ली जिसकी अपील वादीगणों ने न्यायालय की अनुमति से ए0डी0जे0 साहब, निम्बाहेड़ा के यहां प्रस्तुत कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से नवली के पति बन कर नवली की भूमि जो उसके पति काशीराम से प्राप्त हुई थी, को हड़पना चाहता है। नवली द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामें से यह भूमि विद्या पत्नी गोपाल धाकड़ को वसीयत कर दी थी और विद्या ने

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

इसी वसीयत के आधार पर यह कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2016 से आराजी नं. 1354 रकबा 0.3800 हैक्टेयर में से 50/55वें हिस्से में से 10/38वां हिस्सा यानी 0.1000 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 1353 रकबा 0.1000 हेक्टेयर और आराजी नं. 1356 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण हिस्सा वाके मौजा जावदा का मथरी बाई पत्नी रामचन्द्र धाकड़ को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार आराजी नं. 1347 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 1348 रकबा 0.3500 हैक्ओयर तथा आराजी नं. 1358 रकबा 0.3300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर भूमि का 1/2 हक हिस्सा जो पश्चिमी दिशा में 0.1900 हैक्टेयर वादी संख्या 1 शम्भुलाल को विक्रय किया और आराजी नं. 1358 रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर यानी 2/33 वां हिस्स कुल किता 3 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर दिनांक 26.04.2017 को विक्रय कर दिया। तभी से वादीगणों का इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी गबुर ने उक्त विक्रय पत्र को छिपा कर सिविल कोर्ट से डिक्री प्राप्त की है जबकि नवली के द्वारा की गई वसीयत नवली के मरने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में खातेदारी में दर्ज कराने में प्रतिवादी गबुर साथ रहा और उसके वसीयत को स्वीकार करते हुए विद्या के साथ रह कर नामान्तरकरण खुलवाया, तस्दीक करवाया इसलिए वसीयतनामें के आधार पर तस्दीकी इन्तकाल के बाद वादीगणों ने ये जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है इसलिए वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में खातेदार होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा तो वे इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे तथा वादीगण की खरीदशुदा भूमि वादीगण के खातेदारी की घोषित करते हुए वादीगण के नाम खाते में दर्ज की जावे और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए अंकित किया की विद्या देवी द्वारा दिनांक 20.04.2016 एवं 26.04.2017 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की गई परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विद्या देवी के विरूद्ध सिविल न्यायालय, निम्बाहेड़ा में वाद पेश कर विद्या बाई के पक्ष में निष्पादित वसीयत को खारीज करवाया जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करना भी स्वीकार किया है। विक्रय के आधार पर वादीगण खरीदशुदा भूमि के मालिक/स्वामी होना स्वीकार किया है तथा खरीदशुदा भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने की सहमति प्रकट की हे। काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि में से वादीगण की खरीदशुदा भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट करते हुए शेष भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नामी खातेदारी दर्ज करने की सहायता चाही है।

Web Copy - Not Official

दिनांक 14.11.2019 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा राजीनामें अनुसार वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम जावदा की खाता संख्या 212 एवं 93 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है और विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2016 एवं 26.04.2017 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावे व काउण्टर क्लेम के साथ उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेड़ा के प्रकरण संख्या 513/2018 वाद के निर्णय दिनांक 06.02.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित अनुसार विवादित भूमि में से हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा जाना साबित होता है। सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये निर्णय दिनांक 06.02.2019 से दर्ज हो चुकी है। राजीनामें अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनकी खरीदशुदा भूमि तक का हक हिस्सा दिये जाने में सहमत हैं तथा दोनों पक्ष एक दुसरे के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु सहमत हैं। उभय पक्ष के राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा जावदा की आराजी नं. 1354 रकबा 0.3800 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 1353 रकबा 0.1000 हेक्टेयर और आराजी नं. 1356 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण हिस्सा कुल किता 3 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि मथरी बाई पत्नी रामचन्द्र धाकड़ तथा आराजी नं. 1347, 1348 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर में से 1/2 यानी 0.1900 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा का तथा आराजी नं. 1358 रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर यानी 2/33 वां हिस्सा कुल किता 3 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर वादी संख्या 1 शम्भुलाल पिता नन्दलाल धाकड़ निवासी जावदा की खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 गबुर पिता प्यारा धाकड के खातेदारी का घोषित किया जाता है। दोनों पक्ष एक दुसरे के कब्जे में दखल अन्दाजी नहीं करेंगे तथा आवागमन का मार्ग बाधित नहीं करेंगे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 20.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 94/2019 वाद

1. शम्भुलाल पिता नन्दलाल धाकड़, आयु 33 साल, निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मथरी बाई पत्नी रामचन्द्र धाकड़, आयु 68 साल, निवासी जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़।

— वादीगण

//बनाम//

1. गबुर पिता प्यारा धाकड़, आयु 85 वर्ष निवासी जावदा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्दरलाल भाम्बी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा जावदा की आराजी नं. 1354 रकबा 0.3800 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 1353 रकबा 0.1000 हेक्टेयर और आराजी नं. 1356 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण हिस्सा कुल किता 3 कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि मथरी बाई पत्नी रामचन्द्र धाकड़ तथा आराजी नं. 1347, 1348 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर में से 1/2 यानी 0.1900 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा का तथा आराजी नं. 1358 रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर यानी 2/33 वां हिस्सा कुल किता 3 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर वादी संख्या 1 शम्भुलाल पिता नन्दलाल धाकड़ निवासी जावदा की खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 गबुर पिता प्यारा धाकड के खातेदारी का घोषित किया जाता है। दोनों पक्ष एक दुसरे के कब्जे में दखल अन्दाजी नहीं करेंगे तथा आवागमन का मार्ग बाधित नहीं करेंगे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 20.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

401

(पंकज शर्मा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:27:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: